(29)

बिहार सरकार
कला, संस्कति एवं युवा विभाग,
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना

Directorate of Archaeology
Art, Culture & Youth Department, Bihar
II-Notification for protect Site

पटना, दिनांकः

Sub :- 2nd Notification to protect Site "Balgudar Garh" of Lakhisarai district, Bihar.

संचिका संख्या–5पुरा/सु.1–01/2016/04/राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या–28 दिनांक 01.02.2018 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल/स्मारक लखीसराय जिला में अवस्थित ''बालगुदर गढ़'' को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव **''बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976''** की धारा–(3) की उपधारा–(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर किया गया था, जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी तथा इसके लिए दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना के विरूद्ध प्राप्त आपत्ति के आलोक में जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–626, दिनांक 02.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 30.01.2025 को बालगुदर गाँव के मुखिया, सरपंच एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि तथा गाँव के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आहूत कर ''बालगुदर गढ़'' को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। सम्यक विचारोपरान्त ऊपर वर्णित पुरास्थल/स्मारक को सुरक्षित घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा–(3) की उपधारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट लखीसराय जिलान्तर्गत अवस्थित ''बालगुदर गढ़'' को पुरातात्विक स्थल के रूप सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रचना पाटिल)
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/–
(रचना पाटिल)
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

ज्ञापांक 59/. पटना, दिनांकः 05/02/2025

प्रतिलिपिः–बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय (उप मुख्य) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, पुरातत्व, बिहार/जिलाधिकारी, लखीसराय/अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय एवं अंचलाधिकारी, लखीसराय तथा ~~विभागीय~~ आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.2.25
(रचना पाटिल)
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल/स्मारक का नाम	अवशेष	खाता	खेसरा	रकवा		चौहद्दी	जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं0	जिला	अभ्युक्ति
					एकड़.	/डी.									
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14
1	बलगुदर गढ़ (टीला)	पुरातात्विक अवशेष	398	819	1	25	उत्तर– NH–80 एवं मध्य विद्यालय बालगुदर, दक्षिण– उ0वि0 बालगुदर एवं लखीसराय संग्रहालय पूरब– इंटर विद्यालय, बालगुदर पश्चिम– अशोकधाम, बालगुदर सड़क	गढ़ (टीला)	बालगुदर	बालगुदर	लखीसराय	लखीसराय	134	लखीसराय	

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.2.25

(रचना पाटिल)

निदेशक,

पुरातत्व निदेशालय, बिहार।